न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 42/2015

प्रविष्टि दिनांकः– 08–06–2015

1–प्रभू पुत्र कल्याण |
2–किशनलाल पुत्र मूल्या |
3–गंगालाल पुत्र श्योकरण | जाति गूर्जर निवासी अरनिया काकड तहसील पीपलू
4–रमेश पुत्र जमनालाल | जिला टोंक राज.
5–रामलाल पुत्र चन्दा |
6–रामफूल पुत्र चन्दा |

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

1–बादाम पत्नी पूरण जाति रेगर निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–बाबूडी पत्नी बाबूलाल जाति रेगर निवासी अरनिया काकड तहसील पीपलू जिला टोंक
3–तहसीलदार मालपुरा

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा0टि0 एक्ट 1955 विरूद्व निर्णय
तहसीलदार मालपुरा दिनांक 17.03.2015

उपस्थितः (1)श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2)श्री विनोद कुमार गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0 स0 1व2
(3)श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 3

निर्णय

दिनांक 15–07–2016

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार मालपुरा द्वारा दि0 17.03.2015 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नम्बर 237/547 रकबा 1.15 बीघा वाके ग्राम सिददीकनगर तहसील मालपुरा पर अतिक्रमण मानकर बेदखल करने, पेनेल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार मालपुरा मालपुरा के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी जरिये सम्मन रेस्पोडेण्ट्स की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलाण्ट्स एवं अभि0 रेस्पोडेण्ट्स सुनी गई।

3. अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रा0 पत्र में अंकित प्रतिपक्षी बदरी पुत्र श्योकरण प्रा0 पत्र पेश होने के 15 वर्ष पहले मर चुका था, मृतक के विरूद्व प्रा0 पत्र पेश किया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

है एवं अपीलाधीन निर्णय भी मृतक के विरूद्व पारित किया गया है, विवादित भूमि वर्ष 1975 में रेस्पोडेन्ट के पूर्वज को बिना किसी कब्जे के केवल कागजी तोर पर आवण्टित करदी गई थी जबकि उक्त भूमि पर गत 50 वर्षो से भी अधिक पहले अपीलाण्ट्स के पूर्वजो का एवं उनके बाद आज तक लगातार शांतिपूर्वक अपीलाण्ट्स का कब्जा चला आ रहा है, उक्त आवण्टन आदेश की आवण्टी द्वारा पालना नहीं की है, उनका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही भूमि कभी काश्त की है, आवण्टन के दिन भी भूमि रिक्त नहीं थी बल्कि अपीलाण्ट्स के कब्जे में भी थी इस कारण आवण्टन योग्य नहीं थी। धारा 183 बी के तहत प्रा0 पत्र पेश करने के लिए विवादित भूमि पर काश्तकार का 12 वर्ष की अवधि के भीतर कब्जा काश्त होना आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में रेस्पो0 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, प्रा0 पत्र एवं निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि प्रार्थीगण रेस्पो0 का विवादित भूमि पर कब तक कब्जा था और उनको कब किस वर्ष बेदखल करके अपीलाण्ट्स द्वारा नाजायज कब्जा किया गया था, ऐसी कोई प्लीडिग एवं एविडेन्स अस्तित्व में नहीं है। उक्त वर्णित भूमि में वर्षो से अपीलाण्ट्स के मकानात व बाडे बने हुए है तथा कुछ भूमि में ग्राम समेलिया जाने वाला रास्ता ग्रेवल सडक के रूप में बना हुआ है, जिनको बेदखल करने का समय निकल चुका है सन् 1975 के आवण्टन आदेश एवं जमाबन्दी की आड में अब रेस्पोडेण्ट्स को कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। अपीलाण्ट्स को निर्णय करने से पूर्व कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया, मृतक के विरूद्व भी यह लिखा है कि बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है जबकि अपीलाण्ट्स को कोई नोटिस ही तामील नहीं हुआ है, बिना सुने तथा मृतक के विरूद्व पारित किया गया निर्णय गलत है। इस कारण अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय निरस्त योग्य है।

4. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 234/547 रकबा 1.15 बीघा वाके ग्राम सददीकनगर प्रतिपक्षीगण सं0 1व2 के हि0 बराबर से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जो जमाबन्दी सम्वत 2070–73 से स्पष्ट है। जिसमें उक्त आराजी में मौके पर ग्राम समेलिया जाने वाला रास्ता ग्रेवल सडक निकली हुई है तथा बाडे मकानात तथा पशुओं के चारा रखने हेतु चारागृह बने हुए है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त ख0नं0 में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करने पर तहसीलदार मालपुरा ने अपीलाण्ट्स को बेदखल कर शास्ति कायम की गई है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अपीलाण्ट्स अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है। पटवारी हल्का को रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट दिनांक 24.09.14 अनुसार भी उक्त ख0नं0 पर अपीलाण्ट्स का अवैधानिक रूप से कब्जा होना अंकित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

5. रेस्पोडेन्ट सं03 की और राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा उन्है बेदखल किये जाने व शास्ति कायम करने का निर्णय उचित है।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी संवत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

2070–73 वाके ग्राम सद्दीकनगर तहसील तहसील मालपुरा में ख0नं0 234–547 रकबा 1.15 बीधा भूमि रेस्पोडेण्ट बादाम, बाबूडी रेगर की खातेदारी मे दर्ज है। पटवारी हल्का की मौके की रिपोर्ट दि0 14.09.14 अनुसार रेस्पो0 सं0 1व2 की भूमि पर अपीलाण्ट्स अपीलाण्ट्स 1ता 6 द्वारा बाडा बनाकर कब्जा किया हुआ है। इससे सिद्व है कि अपीलाण्ट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अपीलाण्ट्स अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है तथा रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया गया है किन्तु वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलाण्ट्स राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अपीलाण्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर अपने कब्जे के बारे में कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किये है जिससे अपील मेमों में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. फलतः अपील अपीलाण्ट्स अस्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 17.03.2015 यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 15.07.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner